न<u>यायालय: — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड</u> (आप.प्रक.क.: — 569 / 2016)

<u>(संस्थित दिनांक :- 12 / 09 / 2016)</u>

01. डॉ.ओमप्रकाश शर्मा पुत्र बद्री प्रसाद शर्मा, उम्र 57 वर्ष। निवासी : ग्राम इकाहरा, थाना—मालनपुर, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)।

..... परिवादी

<u>// विरूद्ध //</u>

- 01. कैलाश पुत्र वासुदेव, आयु 35 वर्ष।
- 02. हरीओम पुत्र वासुदेव, आयु 28 वर्ष। निवासीगण : ग्राम इकाहरा, थाना—मालनपुर, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभुयक्तगण

<u>// निर्णय//</u>

(आज दिनांक : 27 / 03 / 2018 को घोषित)

- 01. अभियुक्तगण कैलाश एवं हरीओम पर भा.द.सं. की धारा 352 के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :— 31/01/2016 को शाम लगभग 06:00 बजे हनुमान मंदिर के पास नहर के पास मालनपुर में, फरियादी ओमप्रकाश पर बिना गंभीर प्रकोपन के हमला कारित किया।
- 02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।
- 03. परिवाद के तथ्य संक्षेप में सारतः इस प्रकार है कि दिनांक : 31/01/2016 को शाम लगभग 06:00 बजे हनुमान मंदिर के पास नहर के पास मालनपुर में, आरोपीगण कैलाश, हरीओम एवं रामनिवास द्वारा परिवादी डॉ. ओमप्रकाश शर्मा का रास्ता रोकने, मॉ—बहन की गालियाँ देने, उसकी चाँटो से मारपीट करने, गंभीर प्रकोपन के हमला कारित करने एवं जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट थाना मालनपुर पर लिखित आवेदन देकर की गई। तत्पश्चात् पुलिस की कार्यवाही से अंसतुष्ट होने के कारण परिवादी डॉ.ओमप्रकाश शर्मा द्वारा घटना के संबंध में लिखित परिवाद दिनांक : 25/01/2016 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा थाना मालनपुर से जॉच रिपोर्ट आहूत की गई। तत्पश्चात् परिवादी ओमप्रकाश एवं साक्षीगण अमर सिंह एवं भूपेन्द्र शर्मा के धारा 200 द.प्र.सं. के कथन अंकित किये गये। तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा आरोपीगण कैलाश एवं हरीओम के विरुद्ध दिनांक : 12/09/2016 को धारा 352 भा.द.सं. के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया।
- 04. अभियुक्तगण कैलाश एवं हरीओम के विरूद्ध धारा 352 भा.द.सं. के अन्तर्गत दंडनीय आरोप विरचित कर पढकर सुनाये, समझायें जाने पर

अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

- 05. परिवादी की साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 द.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने परिवादी साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं दोषमुक्त किया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेत् प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपी कैलाश एवं हरीओम ने दिनांक :— 31/01/2016 को शाम लगभग 06:00 बजे हनुमान मंदिर के पास नहर के पास मालनपुर में, फरियादी ओमप्रकाश पर बिना गंभीर प्रकोपन के हमला कारित किया?
 - 02. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

- फरियादी ओमप्रकाश शर्मा परि.सा.०१ का उसके न्यायालीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 13/01/2016 की शाम लगभग 06 बजे की है। वह अपनी डॉक्टरी की दुकान स्थित हरीराम पुरा को बंद करके अपने ग्राम इकाहरा आ रहा था, तभी वह रास्ते में नहर हनुमान जी के मंदिर के पास पहुँचा तो ग्राम इकहरा के रामनिवास ने उसे आवाज दी, वह आवाज सुनकर रूक गया, तभी रोड़ के नीचे से कैलाश एवं हरीओम, जो रामनिवास के भाई है, उसके पास आ गये। साक्षी आगे कहता है कि कैलाश के हाथ में कुल्हाडी एवं हरीओम के हाथ में बका था। आरोपीगण ने उसे गंदी–गंदी गालियाँ दी। साक्षी आगे कहता है कि हरीओम ने बका उसके सिर में मारना चाहा, तो उसने उसका अर्थात् हरीओम का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने अर्थात् आरोपीगण ने उससे कहा कि तुझे मैं जान से मारकर छोडूंगा, कैलाश ने भी उससे कहा कि आज बच गया आइंदा जान से खत्म कर देगें, तभी अमर सिंह एवं भूपेन्द्र ने आकर घटना में बीच-बचाव कराया और उसको साथ लेकर गांव गये थे। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी हरीओम ने उसके गाल में एक चाटा भी मारा था, फिर वह घर से थाना मालनपुर गया था, जहाँ उसके द्वारा मालनपुर में लिखित रूप से दिया गया आवेदन प्र.पी.01 है. जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 08. साक्षी अमर सिंह परि.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह फरियादी एवं आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक : 13/01/2016 की शाम लगभग 06 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि रामनिवास, कैलाश एवं हरीओम, ओमप्रकाश डॉक्टर को घेरकर मॉ—बहन की गालियॉ दे रहे थे। साक्षी आगे कहता है कि कैलाश के पास कुल्हाड़ी एवं हरीओम के पास बका था। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण ओमप्रकाश को

जान से मारने की धमकी दे रहे थे। आरोपी कैलाश कुल्हाड़ी से धमका रहा था और हरीओम बका से धमका रहा था। उसने एवं भूपेन्द्र ने घटना में बीच—बचाव कराया। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण ने कहा था कि आज तो छोड़ देते है, आइंदा जान से खत्म कर देगें। उसके बाद ओमप्रकाश अपने घर गया था। तत्पश्चात् ओमप्रकाश घटना की रिपोर्ट करने 07:00 बजे थाना मालनपुर गया था।

- 09. परिवादी साक्षी भूपेन्द्र शर्मा परि.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 13/01/2016 की शाम लगभग 06 बजे की नहर के पास हनुमान जी मंदिर के पास गुरखी मौजे की है। साक्षी आगे कहता है कि डॉ.ओमप्रकाश अपनी दुकान से वापस आ रहे थे। तभी रामप्रकाश ने डॉ.ओमप्रकाश को आवाज देकर रोका। आरोपी रामनिवास, डॉ.ओमप्रकाश को गालियाँ देने लगा। वहाँ पर मौजूद कैलाश एवं हरीओम ने डॉ.ओमप्रकाश को कुल्हाड़ी मारी, जो डॉ.ओमप्रकाश ने हाथ से पकड़ ली थी। आरोपी रामनिवास ने डॉ.ओमप्रकाश को गाल पर चाँटा मारा। अमर सिंह ने आकर बीच—बचाव कराया। आरोपीगण रामनिवास, कैलाश एवं हरिओम कह रहे थे, कि इसको जान से खत्म कर देगें। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण कह रहे थे कि आज तो बच गया, अबकी बार दिखा तो जान से खत्म कर देगें। साक्षी आगे कहता है कि वह डॉ. ओमप्रकाश को घर छोड़ने गया था। तत्पश्चात् डॉ.ओमप्रकाश रिपोर्ट करने गये थे।
- मुख्य परीक्षण में परिवादी ओमप्रकाश द्वारा यह दर्शित किया गया है कि आरोपित घटना में आरोपी हरीओम ने उसे गाल में एक चांटा मारा था, जबिक कथन अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. में उसने आरोपी रामनिवास द्वारा चांटा मारने का तथ्य दर्शित किया था। प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 02 में परिवादी ओमप्रकाश परि.सा.०1 ने यह दर्शित किया है कि उसने जांच कथन प्र.डी.०५ में यह बता दिया था कि आरोपी हरीओम ने उसे एक तमाचा मारा, यदि ना लिखा हो तो कारण नहीं बता सकता। उसके जांच कथन प्र.डी.05 में आरोपी रामनिवास द्वारा चांटा मारने का उल्लेख है, ना कि आरोपी हरीओम द्वारा। साक्षी अमर सिंह ने प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 03 में यह दर्शित किया है कि उसने आरोपी कैलाश को परिवादी ओमप्रकाश को चांटा मारते हुये देखा था। जबकि साक्षी भूपेन्द्र परि.सा.03 का उसके मुख्य परीक्षण में यह कहना है कि आरोपी रामनिवास ने परिवादी ओमप्रकाश को चांटा मारा था। इस प्रकार इस वावत् परिवादी ओमप्रकाश परि.सा.०1, साक्षी अमर सिंह परि.सा.०2 एवं भूपेन्द्र परि.सा.०3 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है कि यदि आरोपित घटना में परिवादी ओमप्रकाश को चांटा मारा भी गया था. तो वह किस आरोपी के द्वारा मारा गया था।
- 11. मुख्य परीक्षण में परिवादी ओमप्रकाश द्वारा यह दर्शित किया गया है कि आरोपित घटना के समय आरोपी रामनिवास ने उसे आवाज देकर रोका, जबिक कथन अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. में उसके द्वारा आरोपी रामनिवास, कैलाश एवं हरीओम तीनों द्वारा आवाज देकर रोके जाने का तथ्य दर्शित किया

है। इस प्रकार इस वावत् उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं कथन अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. के तथ्यों के मध्य विरोधाभाष है।

- मुख्य परीक्षण में परिवादी ओमप्रकाश द्वारा यह दर्शित किया गया है 12. आरोपित घटना के पश्चात वह अपने घर से मालनपूर थाना गये, जहाँ उसके द्वारा लिखित आवेदन प्र.पी.01 दिया गया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी अमर सिंह द्वारा भी यह दर्शित किया गया कि आरोपित घटना के पश्चात ओमप्रकाश रिपोर्ट करने 07:00 बजे थाना मालनपुर गया। प्रति–परीक्षण के पद कमांक 02 में अमर सिंह परि.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि उसके सामने ही परिवादी ओमप्रकाश घटना की रिपोर्ट करने चला गया। साक्षी भूपेन्द्र शर्मा परि.सा.03 द्वारा भी यह दर्शित किया गया कि वह परिवादी ओमप्रकाश को छोडने घर गया, उसके बाद परिवादी रिपोर्ट करने गया था। इस प्रकार उक्त तीनों ही साक्षीगण के अभिसाक्ष्य से यह प्रकट होता है कि परिवादी ओमप्रकाश द्व ारा आरोपित घटना की लिखित रिपोर्ट घटना दिनांक : 13/01/2016 को ही शाम के समय थाना मालनपुर पर की गई थी। जबकि परिवाद के साथ प्रस्तृत लिखित रिपोर्ट प्र.पी.01 पर उक्त लिखित रिपोर्ट किये जाने का दिनांक घटना के अगले दिन 14/01/2016 होना अंकित है। थाने पर उक्त लिखित रिपोर्ट की प्राप्ति के हस्ताक्षर के नीचे भी दिनांक : 14/01/2016 अंकित है। इस प्रकार उक्त लिखित रिपोर्ट प्र.पी.01 परिवादी ओमप्रकाश द्वारा कब की गई थी, इस वावत् ओमप्रकाश परि.सा.०1, अमर सिंह परि.सा.०2 एवं भूपेन्द्र परि.सा.०3 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं लिखित रिपोर्ट प्र.पी.०१ के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है, जो कि सम्पूर्ण परिवादित घटना को संदेहास्पद बनाता है।
- 13. प्रति—परीक्षण के पद कमांक 04 में परिवादी ओमप्रकाश द्वारा यह दर्शित किया गया है कि उसने उसके कथन अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. में आरोपी रामनिवास द्वारा पुरानी रंजिश पर से चांटा मारने वाली बात नहीं लिखाई थी, अगर लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। जबिक ओमप्रकाश के कथन अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. में उक्त तथ्यों का उल्लेख है। इस प्रकार इस वावत् ओमप्रकाश के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके कथन अन्तर्गत धारा 200 द.प्र.सं. के तथ्यों के मध्य विरोधाभाष है।
- 14. प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 04 में साक्षी अमर सिंह परि.सा.02 ने यह दर्शित किया गया है कि उसने जांच कथन में यह बता दिया था कि आरोपी कैलाश कुल्हाड़ी से एवं आरोपी हरिओम बका से परिवादी ओमप्रकाश को धमका रहा था। साक्षी आगे कहता है कि उसने जांच कथन में आरोपीगण द्वारा परिवादी ओमप्रकाश को घेरकर गालियाँ देने, जान से मारने की धमकी देने और उसके तथा भूपेन्द्र परि.सा.03 के द्वारा बीच—बचाव कराने के तथ्य बता दिये थे, यदि उक्त समस्त तथ्य ना लिखे हो तो वह कारण नहीं बता सकता। जबकि उसके जांच कथन में उक्त तथ्यों का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार इस वावत् अमर सिंह परि.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं जांच कथन के तथ्यों के मध्य विरोधाभाष है।

- 15. मुख्य परीक्षण में साक्षी भूपेन्द्र परि.सा.03 द्वारा यह दर्शित किया गया है कि आरोपी रामनिवास ने परिवादी ओमप्रकाश को आवाज देकर रोका, जबिक प्रति—परीक्षण के पद कमांक 02 में उसके द्वारा यह दर्शित किया है कि उसके सामने आरोपीगण द्वारा परिवादी ओमप्रकाश को नहीं रोका गया। इस प्रकार इस वावत् भूपेन्द्र परि.सा.03 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य विरोधाभाषपूर्ण है।
- 16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि परिवादी की सम्पूर्ण साक्ष्य विरोधाभाषों एवं लोपों से युक्त होने के कारण अत्यंत संदेहास्पद है और वह संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण कैलाश एवं हरीओम ने दिनांक :— 31/01/2016 को शाम लगभग 06:00 बजे हनुमान मंदिर के पास नहर के पास मालनपुर में, फरियादी ओमप्रकाश पर बिना गंभीर प्रकोपन के हमला कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

- 17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि परिवादी आरोपी कैलाश एवं हरीओम के विरूद्ध धारा 352 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 352 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 18. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

(पंकज शर्मा) (पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद